दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार और दिल्ली सरकार का संयुक्त उद्यम)

निविदा का नाम : दो पृथक अनुसूचियों अर्थात समयपुर बादली से राजीव चौक तक अनुसूची-1 और पटेल चौक से अर्जनगढ़ तक अनुसूची-2 में डीएमआरसी के येलो लाइन (लाइन-2) पर चुनिंदा मेट्रो स्टेशनों के भीतर विशेष विज्ञापन अधिकार प्रदान करने के लिए निविदा।

निविदा सं. : **डीएमआरसी/पीबी/4182-0002/आईडी**

1. निविदा आमंत्रित करने के लिए नोटिस

1.1 निविदा/बोली आमंत्रित करने संबंधी नोटिस के अनुसार दो पृथक अनुसूचियों अर्थात समयपुर बादली से राजीव चौक तक अनुसूची-1 और पटेल चौक से अर्जनगढ़ तक अनुसूची-2 में डीएमआरसी के येलो लाइन (लाइन-2) पर चुनिंदा मेट्रो स्टेशनों के भीतर विशेष विज्ञापन अधिकार का लाइसेंस देने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ऐसी प्रतिष्ठित एजेंसियों से ई-निविदाएं आमंत्रित करता है जो कोई पूर्णतया प्रोप्राइटरी फर्म, पार्टनरशिप फर्म या कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के अंतर्गत निगमित कंपनी हो और जिसका भारत में अपना पंजीकृत कार्यालय हो या ऐसे संस्थानों के संयुक्त उद्यम/कंसोर्टियम के रूप में हो।

1.2 बोली लगाने वाले का ऐसा हित का टकराव नहीं होगा जिससे बोली प्रक्रिया प्रभावित होती हो। हित टकराव वाले किसी भी बोली लगाने वाले को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि एक बोली लगाने वाले का कोई घटक दूसरी बोली लगाने वाले का भी घटक है तो इस प्रकार बोली लगाने वाले को बोली प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला हित टकराव माना जाएगा।

1.3 डीएमआरसी इस निविदा दस्तावेज में निर्धारित निबंधनों एवं शर्तों तथा डीएमआरसी द्वारा समय-समय पर यथा परिवर्तित, उपांतरित संशोधित एवं स्पष्ट की गई शर्तों के अनुसार इस निविदा दस्तावेज के अनुसरण में, बोलियां (ई-निविदा) प्राप्त करेगा। बोली लगाने वाले इस दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख को या उससे पहले ऐसे निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार बोलियां प्रस्तुत करेंगे। बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे स्थल / स्टेशनों पर जाएं और स्वयं को प्रस्तावित इंतजामों तथा इस संबंध में आवश्यक सभी क्रियाकलापों से अवगत कराएं।

1.4 कोई भी बोली लगाने वाला किसी एक या दोनों अनुसूचियों के लिए बोली लगा सकता है। निविदा मूल्यांकन दोनों अनुसूचियों के लिए पृथक रूप से किया जाएगा और प्रत्येक अनुसूची विशेष अनुसूची के लिए उच्चतम (एच 1) बोली लगाने वाले को प्रदान/आबंटित किया जाएगा।

1.5 बोली प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं:

(क) डीएमआरसी ने निविदा दस्तावेज के अनुलग्नक-। के अनुसार दो पृथक अनुसूचियों अर्थात समयपुर बादली (एसपीबीआई) से राजीव चौक (आरसीके) तक डीएमआरसी नेटवर्क की लाइन सं. 2 पर चुनिंदा मेट्रो

स्टेशनों के भीतर के विशेष विज्ञापन अधिकार प्रदान करने के लिए उपयुक्त उच्चतम बोली लगाने वाले (लों) का चयन करने हेतु दो पैकेट वाली बोली प्रक्रिया को अपनाया है।

(ख) बोली प्रक्रिया की समय-सारणी:

1.	निविदा दस्तावेज की लागत (जो वापस नहीं की जाएगी)	23,600 रूपए (20,000 रूपए + 18 प्रतिशत) निविदा दस्तावेज की लागत "दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड" के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट बैंकर्स चेक के रूप में स्वीकार्य होगी।
2.	बोली प्रतिभूति (सिक्योरिटी)	**अनुसूची -1: 15 लाख रु.** **अनुसूची -2: 15 लाख रु.**
3.	निविदा दस्तावेज की बिक्री	तारीख 13.03.2018 से 12.04.2018 तक (15.00 बजे तक) ई-निविदा वेब साइट https://eprocure. gov.in/eprocure/app
4.	निविदा-पूर्व कांफ्रेंस	मेट्रो भवन में तारीख 20.03.2018 को 15.00 बजे
5.	डीएमआरसी द्वारा लिखित प्रश्न प्राप्त करने की अंतिम तारीख	23.03.2018 को 17.00 बजे तक
6.	प्रश्नों के लिए डीएमआरसी को उत्तर की समय-सीमा	02.04.2018
7.	ऑन लाइन बोली प्रस्तुत करने (ई-निविदा) की अंतिम तारीख एवं समय	12.04.2018 को 15.00 बजे तक
8.	ऑनलाइन तकनीकी बोली खोलने की तारीख एवं समय	13.04.2018 को 15.00 बजे
9.	बोली की विधि मान्यता	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से 180 दिनों तक
10.	निविदा दस्तावेज की लागत एवं बोली प्रतिभूति को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकारी एवं स्थान	उप महाप्रबंधक / संपत्ति व्यवसाय का कार्यालय, तीसरा तल, ए विंग, मेट्रो भवन, फायर ब्रिगेड लेन, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001

निविदा दस्तावेज और बोली प्रतिभूति की लागत "दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड" के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट / पे-ऑर्डर / बैंकर्स चेक के रूप में स्वीकार की जाएगी । **निविदा दस्तावेज तथा बोली प्रतिभूति की लागत मूल रूप में उप महाप्रबंधक / संपत्ति व्यवसाय, तीसरा तल, ए विंग, मेट्रो भवन, फायर ब्रिगेड लेन, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001 को निविदा दस्तावेज की बिक्री की अंतिम तारीख से पहले या अंतिम तारीख को 15.00 बजे से पूर्व अवश्य ही प्रस्तुत की जानी चाहिए।** जो बोली लगाने वाले नियत तारीख एवं समय पर या उससे पहले निविदा दस्तावेज एवं निविदा प्रतिभूति की लागत भौतिक रूप में जमा नहीं कर पाते हैं उनको अपात्र घोषित किया जाएगा तथा उनके द्वारा प्रस्तुत बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा। बोली की विधि मान्यता की अवधि बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से 180 दिनों तक रहेगी।

(क) बोली लगाने वालों से अपेक्षा की जाती है कि वे लाइसेंस करार किए जाने के लिए अपनी-अपनी बोलियां प्रस्तुत करने से पहले अपनी लागत पर डीएमआरसी परिसरों का व्यापक सर्वेक्षण एवं विश्लेषण करें। डीएमआरसी संभावित बोली लगाने वालों को आवश्यक अनुमति एवं सहायता प्रदान करेगा।

(ख) निविदा दस्तावेज, बोली प्रतिभूति और निविदा दस्तावेजों में यथा उल्लिखित अन्य दस्तावेजों की लागत के संबंध में आवश्यक स्कैन किए गए दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद बोली ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(ग) बोली प्रस्तुति में अपलोड की गई सभी फाइलों को समुचित रूप से नाम दिया जाना चाहिए और उसे योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। अपलोड की गई फाइल के नाम में कोई विशेष कैरेक्टर/स्पेस नहीं होना चाहिए।

(घ) बोली (ई-निविदा) प्रस्तुत करने की नियत तारीख एवं समय के बाद प्राप्त बोलियों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ङ) यदि संयुक्त उद्यम /केसोर्टियम द्वारा बोली प्रस्तुत की जाती है तो इसके सभी सदस्यों द्वारा निम्नलिखित का अनुपालन किया जाएगा:

(i) कंर्सोटियम के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, टर्नओवर में प्रत्येक सदस्य के अंशदान पर कंसोर्टियम में उनकी इक्विटी की भागीदारी के अनुपात में विचार किया जाएगा।

(ii) संयुक्त उद्यम (जेबी)/ केसोर्टियम का प्रमुख सदस्य लाइसेंस करार की पूरी अवधि के दौरान संयुक्त उद्यम / कंसोर्टियम की कुल अंशधारिता (शेयरहोल्डिंग) का न्यूनतम 51 प्रतिशत अंश (शेयर) रखेगा।

(iii) डीएमआरसी के पूर्व अनुमोदन के बिना संयुक्त उद्यम / कंसोर्टियम के सदस्यों के पण (स्टेक) के प्रतिशत में किसी परिवर्तन को संविदा का तात्विक भंग तथा लाइसेंस धारी की चूक माना जाएगा और डीएमआरसी प्रतिभूति जमा / कार्य निष्पादन प्रतिभूति को भुनाने और या 30 दिनों के नोटिस के बाद ऐसे करार को रद्द करने के लिए हकदार हो जाएगा।

(iv) लाइसेंस अवधि (लॉक-इन अवधि सहित) के दौरान संयुक्त उद्यम / कंसोर्टियम में किसी सदस्य के पण (स्टेक) का न्यूनतम प्रतिशत 15 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

(v) 26 प्रतिशत से कम भागीदारी वाले पार्टनरों को महत्वपूर्ण पार्टनर नहीं माना जाएगा तथा उनके मूल्यांकन पर विचार नहीं किया जाएगा जिसका अर्थ यह है कि संयुक्त उद्यम / कंसोर्टियम के मूल्यांकन के लिए उनकी पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा।

(vi) ऐसी सत्ता के सभी सदस्य लाइसेंस करार के कार्य निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से तथा गंभीर रूप से उत्तरदायी होंगे।

(vii) कंर्सोटियम/संयुक्त उद्यम के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, टर्नओवर में प्रत्येक सदस्य के अंशदान पर संयुक्त उद्यम के कंसोर्टियम में उनकी इक्विटी की भागीदारी के अनुपात में विचार किया जाएगा

1.6 बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे अद्यतन सूचना के लिए ई-निविदा पोर्टल https://eprocure.gov.in/eprocure/app और www.delhimetrorail.com को देखते रहें।

1.7 इस निविदा के बारे में किसी शिकायत की स्थिति में कृपया निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क करें-

1. **महाप्रबंधक / संपत्ति व्यवसाय,**

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड
तीसरा तल, ए विंग, मेट्रो भवन,
फायर ब्रिगेड लेन, बाराखंबा रोड,
नई दिल्ली-110001
ईमेल : gmpb@dmrc.org, : दूरभाष : 011-23418417

2. **मुख्य सतर्कता अधिकारी,**
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड
पहला तल, ए विंग, मेट्रो भवन,
फायर ब्रिगेड लेन, बाराखंबा रोड,
नई दिल्ली-110001
ईमेल : cvodmrc@gmail.com : दूरभाष : 011-23418406
Website वेबसाइट: http://www.delhimetrorail.com/vigilance.aspx

महाप्रबंधक / सम्पत्ति व्यवसाय
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड